thereof stating the malpractices identified in these organisations/institutions, responsible for the decline in the values and objectivs for which these were set up; and

(e) the measures contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खनिज न्यायाधिकरण में लम्बित मामले

1468. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज न्यायाधिकरण में खनिज से संबंधित कितने मामले लम्बित पड़े हैं और उनमें से कितने मामले राजस्थान से हैं ;

(ख) राजस्थान से वर्षवार कितने मामले प्राप्त हुए और वर्षवार कितने मामले निपटाये गये ;

(ग) विचाराधीन उन पुराने मामलों का ब्यौरा क्या है जो स्थगन आदेश के कारण लम्बित पड़े हैं और इनके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि न्यायाधिकरण द्वारा न्यायिक निर्णय अथवा स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास 961 पुनरीक्षण मामले निर्णय के लिए बकाया थे । इनमें से 287 मामले राजस्थान राज्य के थे ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान से प्राप्त और निर्णय किये गये मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	राजस्थान से प्राप्त मामलों की संख्या	निर्णय किए गए
1990 .	143	130
1991 .	164	109
1992 .	209	134

(ग) स्थगन आदेशों से संबंधित कोई मामला बकाया नहीं है ।

(घ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 30 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अधिकार है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अधिकारों का उपयोग करने वाले अन्य प्राधिकरण के आदेशों में संशोधन कर सकती है ।

Hindustan Zinc Limited

1469. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Financial Express of 1st February, 1993 to the effect that brushing aside the national pressing need to conserve foreign exchange Hindustah Zinc Ltd. continue to use imported cooking coal at its Ch-anderiya lead zinc smelter;

(fo) if so, what are the details in this regard;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the action taken/proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALFAM SINGH YADAV): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार में खानों का कार्यकरण

1470. **श्री गया सिंह :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कोयले की खानों के अलावा, अन्य खानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि रख-रखाव के अभाव में मुसाबानी खान की उत्पादकता में गिरावट आई है ; और

(ग) ऐसी तांबे की खानों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक उत्पादन भी प्रारंभ नहीं हुआ है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिहार में कार्यरत खानों की संख्या और 1991-92 के दौरान उनका उत्पादन विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) जी नहीं ।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लि० में ऐसी कोई खान नहीं है, जिसमें अभी उत्पादन आरंभ न किया गया हो ।